आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर शस्त्र वाद सं. 108/14	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
9/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **प्रमोद कुमार प्रसाद, पिता–स्व0 काशीनाथ प्रसाद, ग्राम–एकडेगवा, पो0–मुबारकपुर, थाना मांझी, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5189/गो0 29.12.08 के द्वारा आवेदक प्रमोद कुमार प्रसाद, पिता–स्व0 काशीनाथ प्रसाद, ग्राम–एकडेगवा, पो0–मुबारकपुर, थाना–मांझी, जिला–सारण का एक रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है। दिनांक 24.7.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गई थी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया था। आवेदक के द्वारा बताया गया था कि वे किरासन तेल के थोक विक्रेता हैं। उनके भाई का पूर्व में अपहरण किया गया था, जिससे संबंधी दाउदपुर थाना कांड सं0 14/05 दिनांक 6.2.05 धारा–364 ए /34 भादवि है। आवेदक से 45,000 रूपया की डकैती भी की गयी थी, जिससे संबंधित मांझी थाना कांड सं0 48/2000 दिनांक 4.5.2000 धारा–395 भादवि दर्ज है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, मांझी के ज्ञापांक डीआर 1607 दिनांक 21.12.06, डी.आर. 228 दिनांक 12.2.08, डी.आर. 1907 दिनांक 18.12.08 एवं डी.आर. 488 दिनांक 13.7.14, पुलिस निरीक्षक, एकमा अंचल के ज्ञापांक डी.आर. 67 दिनांक 13.1.07 एवं अचलाधिकारी, मांझी के पत्रांक 1159 दिनांक 26.12.07 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5189/गो0 दिनांक 29.12.08 के द्वारा संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं है। अतः इस न्यायालय के पत्रांक 846 दिनांक 28.7.14 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सारण से खतरे की आशंका के	

संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 4342/गो0 दिनांक 15.10.14 के द्वारा थानाध्यक्ष, मांझी के प्रतिवेदन (डी.आर. 2716 दिनांक 1.9.14) को संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आवेदक की उपस्थिति में आज दिनांक 9.12.14 को पुनः सुनवाई की गयी एवं पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। थानाध्यक्ष, मांझी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के विरूद्व मांझी थाना में कोई शिकायत दर्ज नहीं है। यह मांझी प्रखंड के किरासन तेल डीपो के प्रबंधक हैं तथा इन्हें रात–दिन डीपो से कैश लेकर जाना पड़ता है। पूर्व में इनके डीपो में डकैती की घटना हुई थी, जिससे संबंधित थाना कांड सं0 48/2000 दिनांक 4.12.2000 धारा–395 भादवि दर्ज है। इसके अतिरिक्त इनके भाई का अपहरण 2005 में दाउदपुर थाना अंतर्गत किया गया था, जिस संबंध में दाउदपुर थाना कांड सं0 14/05 दिनांक 6.2.05 दर्ज है।

आवेदक के द्वारा बताया गया कि उनके पास पूर्व से एक रायफल की अनुज्ञप्ति है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन में इस बिन्दु पर प्रतिवेदन अंकित नहीं है कि आवेदक के पास पूर्व से जब रायफल है, तो उन्हें इसके अतिरिक्त एक रिवॉल्वर/पिस्टल देने की आवश्यकता है या नहीं। इस आशय का प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सारण से प्राप्त किया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1048 दिनांक 12/12/14

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।

12/12/14